9/7/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
5/13	24.06.2025	29.09.2025

बउनवान

01. भगवत स्वरूप शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा निवासी ग्राम मुंडिया तहसील मालाखेडा हाल निवासी 290/40 केसरी कालोनी बालूपुरा रोड आदर्श नगर अजमेर

अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत जमालपुर पंचायत समिति उमरैण हाल पंचायत समिति मालाखेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जमालपुर

रेस्पोडेन्टान

(अलवर) राज0

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 346 ग्राम पंचायत जमालपुर तहसील अलवर हाल तहसील मालाखेडा

निर्णय

वकील अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व ग्राम पंचायत जमालपुर निर्णय दिनांक 16.01.2007 नामान्तकरण संख्या 346 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि रमेश पुत्र किशोरी के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 299, 300 कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेडा मे 1/3 भाग था, जिनका स्वर्गवास सन् 2001 में हो गया। मृतक रमेश चन्द की विरासत इंतकाल सरपंच ग्राम पंचायत जमालपुर ने ग्राम संपर्क अभियान 2007 में बिना वारिसान के नाम की जांच किए बिना तस्दीक कर दिया। अपीलांट का नाम भगवत स्वरूप की जगह पटवारी हल्का ने भारत भूषण दर्ज कर दिया और उसी आधार पर इंतकाल तस्दीक हो गया। इंतकाल तस्दीक करते समय मृतक के वारिसान को कोई सूचना नही दी और ना ही सही नाम की कोई जानकारी की। अपीलान्ट का नाम विरासत इंतकाल में गलत दर्ज हो जाने से अपीलान्ट अपनी आराजी का उपभोग समुचित रूप से नहीं कर पा रहा है तथा अपीलान्ट की हकूक खातेदारी पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। अपीलांट ने इंतकाल संख्या 346 ग्राम पंचायत जमालपुर तहसील अलवर, वर्तमान तहसील मालाखेडा जिला अलवर में भारत भूषण के स्थान पर सही नाम भगवत स्वरूप शर्मा संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट जरिए रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संस्ख्या–1 की विधिवत् रूप से तलबी होने के उपरान्त भी हाजिर अदालत न होने पर एक तरफा कार्यवाही की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

2/7/25

वकील अपीलान्ट की बहसी सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए इंतकाल की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने तक के समय का मुजरा किया जाकर अपील स्वीकार करने का कथन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा विवादित इंतकाल संख्या 346 दिनांक–16.01.2007 का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा मियाद अवधि के बाहर अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कन्डोन किया जाता है। अपीलांट द्वारा तहत ग्राम पंचायत जमालपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक–16.01.2007 इंतकाल संख्या–346 में अपीलांट का नाम गलत दर्ज होना अंकित किया है। तहत अदालत को आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट के वारिसान के नाम की पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु तहत अदालत ने वारिसान के नामोंकी विस्तृत जांच किए बिना ही आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया अपीलांट की हद तक अपास्त योग्य है।

अतः तहत अदालत ग्राम पंचायत पारित आलोच्य आदेश दिनांक–16.01.2007 इंतकाल संख्या–346, ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेडा अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट के सही नाम की विधिक जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेडा को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)